(2)

संख्याः शिक्षा –ईडीएन –एच ई(13)-1/2012 (Pension Instruction)
शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश

दिनांक शिमला– 171001 मार्च,2018

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि०प्र०
04 APR 2018

सेवामें

1. समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय, हिमाचल प्रदेश
2. समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्च)
हिमाचल प्रदेश ।

विषयः– हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों को पच्चीस वर्ष(अब 18 वर्ष) की सेवा पूरा करने के बाद या उनकी सेवानिवृति की तिथि से पॉच साल पहले अर्हकारी सेवाकाल को सत्यापित करने बारे।

ज्ञापनः

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में पत्र अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः फिन(पेन)बी(10) –3/2006 –खण्ड–1 दिनांक 07.03.2018 के तहत प्राप्त हुआ है। जिसके अर्न्तगत यह कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 32 के अन्तर्गत ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृति में पांच साल का समय बचा हो या फिर जिन्होने 18 वर्ष की सेवा का कार्यकाल पूरा कर लिया हो, जो भी पहले हो, कार्याल्याध्यक्षों को प्रचलित नियमों के अनुसार लेखा अधिकारी से परामर्श उपरान्त ऐसे कर्मचारियों की सेवा को सत्यापित करके , अर्हकारी सेवा को निर्धारित करने उपरान्त निर्धारित अर्हकारी सेवाकाल को फार्म –24 पर सम्बन्धित कर्मचारी को सूचित करना अनिवार्य है परन्तु महालेखाकार कार्यालय ने उनके अ0शा0पत्र सं0/पैन्शन –1/विविध/हि0प्र0 सरकार/2017–18/2841 दिनांक 12.01.2018 के द्वारा इस विभाग के ध्यान में लाया है कि विभागाध्यक्षों/ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उपरोक्त नियमों के तहत निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से महालेखाकार कार्यालय में कर्मचारी की पैन्शन के अन्तिम दस्तावेज़ बनाते हुए अर्हकारी सेवा निर्धारण करने में बहुत अधिक समय लगता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे आग्रह है कि अपने अधिनस्थ कार्यालयाध्यक्षों तथा सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि वे केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 32 के अन्तर्गम का सख्ती से अनुपालना करें तथा यह सुनिशचित करें कि कर्मचारियों / अधिकारियों के पैन्शन मामले केन्द्रीय सिविल सेवानिवृति से पहले महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को अर्हकारी सेवा निर्धारण करने उपरान्त समय पर भेजें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा पैन्शन सम्बन्धित मामलों को अन्तिम रुप दे कर समय पर पैन्शन सम्बन्धित मामलों का निपटारा सुनिश्चित हो सके।

शिक्षा निदेशक
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन सम संख्याः दिनांक शिमला–171001 मार्व,2018

प्रतिलिपि :

1.अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्याः फिन(पेन)बी(10) –3/2006 –खण्ड–1 दिनांक 01.11.2017 के सनदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2.निजि सचिव शिक्षा निदेशक हिमाचल प्रदेश।
3.समस्त शाखा अधिकारी को को आगामी सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4.अधीक्षक महाविद्यालय शाखा, स्थापना शाखा–1 शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश को आगामी सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5 समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्च) हिमाचल प्रदेश ।
6.अधीक्षक आइ.टी शाखा को निर्देश दिए जाते हैं कि वेबसाईट पर अपलोड की जाए।
7. रक्षक नस्ति।

शिक्षा निदेशक
हिमाचल प्रदेश